पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार तिथि — 01 चैत्र, 1934 (श०)
21 मार्च, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—05

(1) ग्रामीण विकास विभाग	..	..	..	01
(2) पथ निर्माण विभाग	..	..	..	01
(3) जल संसाधन विभाग	..	..	..	01
(4) लघु जल संसाधन विभाग	..	..	..	01
(5) पंचायती राज विभाग	..	..	..	01
			कुल योग ..	05

पुल का निर्माण

46. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मार्च, 2011 में माननीय मंत्री द्वारा कोईलवर में पुल बनाने की स्वीकृति देते हुए एक माह में भोजपुर जिलान्तर्गत कोईलवर पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देने का निदेश विभाग को दिया गया था, परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बावजूद आजतक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि कोईलवर पुल पर वाहनों का अत्यधिक भार रहने के कारण प्रत्येक दिन जाम लगता है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कोईलवर पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

47. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के आमस प्रखण्ड के इंदिरा आवास में हुई गड़बड़ी की जांच जिला पदाधिकारी, गया द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, शेरघाटी से करायी गयी थी, जिसका जांच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय के पत्रांक 631, दिनांक 14 जून, 2011 द्वारा कार्रवाई हेतु भेजा गया था, जिस पर अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इंदिरा आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भत्ता भुगतान करना

48. श्री भाई वीरेन्द्र--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 38 जिलों में पंचायती राज संस्थाएं कार्यरत हैं, जिसमें जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच का कुल 2,60,664 पदों पर निर्वाचित जन-प्रतिनिधि कार्यरत हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्वाचित सदस्यों के लिए सिर्फ यात्रा भत्ते की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गयी है, जिसमें वर्ष 2010-11 में 9.61 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रारम्भ से ही मांग रही है कि उन्हें भी वेतन, भत्ता, पेंशनादि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाय;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्वाचित प्रतिनिधियों को वेतन, भत्ता, पेंशनादि का भुगतान करना का चाहती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

49. डॉ० अच्युतानंद--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में केन्द्रीय नीति के तहत 1997 में सोन, गंडक और कोशी नहरों की 52 वितरणी प्रणालियों के रख-रखाव हेतु किसानों की समितियों को सौंपा गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त समितियों द्वारा पटवन का पैसा किसानों से वसूला गया लेकिन उसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि 1997 से अबतक इन समितियों द्वारा नहरों के रख-रखाव का कोई कार्य नहीं कराने से अधिकांशतः नहर नष्ट हो गये हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी समितियों द्वारा किसानों से वसूली गयी राशि और उसके उपयोग की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

किसानों को लाभ दिलाना

50. श्री राजेश्वर राज--दिनांक 13 फरवरी, 2012 को स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "बैंक बरत रहे सुस्ती" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में सिंचाई सुविधा हेतु 20 नवम्बर, 2009 से प्रारम्भ की गयी भू-जल सिंचाई योजना के तहत 4.64 लाख किसानों को शामिल करते हुए 9.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि योजना के प्रारम्भ में 1,01,936 किसानों को लाभ देने के लिए 231.67 करोड़ रुपये निर्गत किये गये, जो अबतक खर्च नहीं हुए हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि योजना के लिए 92,788 किसानों के आवेदन के विरुद्ध बैंकों द्वारा मात्र 63,922 आवेदन ही अबतक स्वीकार किए गए हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना से शतप्रतिशत किसानों को लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 21 मार्च, 2012 (ई०)।

लक्ष्मीकान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 153-डी०टी०पी०--450